समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-:आदेश:-

मो0अब्दुल मोजीब पिता- अब्दुल मजीद, ग्राम+पो0-पुरैनी, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा ने लिखित रुप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है इनके नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1998 (कुमारखण्ड थाना) पर धारित शस्त्र संख्या- बी0/4 26299 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि जानकारी नहीं रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है।इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करते हुए भौतिक सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09.09.2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी मो0अब्दुल मोजीब (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 161/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9 (ए) का उल्लंधन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1998 (कुमारखण्ड थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है, इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 53 वर्ष 05 माह अंकित किया गया है। इनके द्वारा समर्पित जवाव में अंकित है कि उन्हें थाना द्वारा सूचना नहीं देने तथा सुदूर देहाती क्षेत्र होने के फलस्वरुप समाचार पत्र एवं अन्य श्रोत से जानकारी नहीं मिलने के कारण निर्धारित तिथियों को भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित नहीं कर सके है। इनके द्वारा समर्पित जवाव तथ्य से परे, मनगढंत एवं भ्रामक है। क्योंकि उन्हें सत्यापन हेतु तीन बार यथा 04-10-2013, 05-10-2013 एवं 19-10-2013 को मौका दिया गया, फिर भी सत्यापन नहीं करा सके। सिर्फ जानकारी नहीं मिलने का बहाना बनाकर बचना चाहते है। अनुज्ञप्तिधारी का उक्त कार्य अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश की अवज्ञा एवं मनमानेपन का द्योतक है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंधन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंधन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए मो0अब्दुल मोजीब पिता- अब्दुल मजीद, ग्राम+पो0-पुरैनी, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1998 (कुमारखण्ड थाना) को रद्द किया जाता है एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति मूल जिला शस्त्र शाखा, में एवं उस पर धारित शस्त्र संख्या- - बी0/4 26299 को कुमारखण्ड थाना के मालखाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 धंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मो0अब्दुल मोजीब द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक....122..../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक....26-03-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, कुमारखण्ड/श्रीनगर ओ0पी0/मे0 बिहार गन हाउस,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मो0अब्दुल मोजीब पिता- अब्दुल मजीद, ग्राम+पो0-पुरैनी, थाना- कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25/03/14

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।